<u>**न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़**</u>।
<u>**पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पारूल कुमारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (उ.प्र. 3546)**</u>

UPHP120025992026

Bail Application –770/2026

मु.अ.सं.–329/2026

सरकार बनाम गुड्डू आदि

अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 131 बी.एन.एस. व
7 सी.एल.ए. एक्ट

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला–हापुड़।

<u>**दिनांकः–02.07.2026**</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण **अशोक कुमार व धर्मवीर पुत्रगण हरस्वरूप, ललित व सोनू पुत्रगण धर्मवीर** की तरफ से मु.अ.सं.–329/2026 सरकार बनाम गुड्डू आदि, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 131 बी.एन.एस. व 7 सी.एल.ए. एक्ट, थाना–गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया से आत्मसमर्पण किया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा की कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। अभियुक्तगण के विरूद्ध जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्तगण का दौराने केस भागने एवं गवाहन तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किया जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन अनुपस्थित।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्तगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया से आत्मसमर्पण किया गया। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया जाता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबद द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांकित 12.08.2025 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में*** अभियुक्तगण **अशोक कुमार व धर्मवीर पुत्रगण हरस्वरूप, ललित व सोनू पुत्रगण धर्मवीर** को 25,000–25,000/–रूपये की एक–एक जमानत तथा समान धनराशि का एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court